वंचित लोगों को कानून की जानकारी देना व उनके अधिकारों को दिलाना सभी का कर्तव्य : जस्टिस डीएन पटेल

शिविर में लाभुकों के बीच हुआ 75.76 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण

कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करते लाभुक तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करते न्यायाधीश

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का स्वागत करतीं कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं

संवाददाता

दुमका। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आउटडोर स्टेडियम, दुमका में राज्य स्तरीय चतुर्थ विशेष विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया। शिविर का आयोजन नालसा, दिल्ली एवं झालसा, रांची के निर्देशानुसार किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट डीएन पटेल, विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश, हाईकोर्ट सह लीगल सर्विसेज अध्यक्ष एच सी मिश्रा, हाई कोर्ट प्रशासनिक न्यायाधीश, दुमका न्यायमंडल अनिल कुमार चौधरी उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने शिविर को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा समाज के हर व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चलायी जा रही हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाएं तभी सफल हो पायेंगी जब हर जरूरतमंद को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोगों में सरकार की योजनाओं की जानकारी का अभाव है। सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। ऐसी योजनाओं का लाभ अगर हर जरूरतमंद को मिले तो उसे किसी के पास हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के पैसों को सही कार्य में खर्च कर हम समाज में खुशहाली लाने का कार्य कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आज का दिन दुमका जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। शिविर के माध्यम से 7576 करोड़ रुपये की लागत से योजनाओं से संबंधित परिसंपत्ति वितरण किया जा रहा है। लीगल सर्विस ऑथरिटी के द्वारा एक बुकलेट प्रिंट कराया गया है। जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ तथा उनसे लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह लोगों के लिए लाभकारी होगी। लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक आवेदन देने का अपील किया। निश्चित रूप से प्रक्रिया के तहत सभी को लाभ मिलना सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि सभी का दायित्व है कि मिलकर वंचितों को ऊपर उठाना है। उनके जीवन स्तर को एक ऊंचाई देने के लिए उन्हें लाभ पहुंचाना सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि लीगल एवेयरनेस सभी के लिए आवश्यक है। सभी को कानून की जरूरी जानकारियां एवं उनका हक उन्हें पता होना चाहिये। इस अवसर पर विभिन्न लाभुकों के बीच समाज कल्याण द्वारा ट्राई साईकिल, बैसाखी वितरित किया गया। लक्ष्मी लाडली योजना के तहत छह हजार रुपये का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए परिसम्पत्ति, जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा वेद व्यास आवास निर्माण के लाभुकों के बीच परिसम्पत्ति, मत्स्य बीज के पूरक आहार, जिला शिक्षा कार्यालय दुमका के द्वारा छात्राओं के बीच स्कूली किट, श्रम विभाग द्वारा पारिवारिक पेंशन योजना, साईकिल योजना के तहत प्रमाण पत्र का वितरण, सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा पेंशन योजना के तहत लाभुक को प्रमाण पत्र, जेएसएलपीएस की तरफ से एक करोड़ एक लाख रुपये सखी मंडल की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, गव्य विकास की तरफ से 10 हजार रुपये के अनुदान की राशि लाभुकों के बीच वितरित की गई। लाभुकों को मेडिकेटेड नेट दिया गया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से बात की एवं उनकी परेशानियों को जाना। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाये गये थे। जहां विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल ने सभी से कहा कि इन स्टॉल पर जाने एवं सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर योजनाओं का लाभ लेने को प्रेरित किया। इस दौरान सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभुकों ने अपने अनुभव को साझा किया। इस अवसर पर डीसी मुकेश कुमार, डीडीसी वरुण रंजन, प्रशिक्षु आईएएस शशि प्रकाश ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इससे पूर्व कार्यक्रम स्थल पर पारंपरिक रीति-रिवाज लोटा पानी से अतिथियों का स्वागत किया गया। अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरूआत किया। पुष्पगुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन डीसी मुकेश कुमार ने किया। इस अवसर पर झालसा, सचिव ए के राय एवं डालसा, सचिव निशांत कुमार आदि उपस्थित थे।

आज का मौसम
39.0° अधिकतम तापमान | 25.0° न्यूनतम तापमान
सूर्य अस्त (आज) 6.33 उदय (कल) 4.56

दुमका जागरण

www.jagran.com भागलपुर, 2

आउटडोर स्टेडियम में दंपती को सामान प्रदान करते न्यायाधीश डीएन पटेल • जागरण

उपस्थित भीड़ • जागरण

हाई कोर्ट बेंच का फैसला अकेले संभव नहीं

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने कहा– न्यायालय में 25 की जगह मात्र 17 ही जज, सारे निर्णय समझने के बाद ही कोई फैसला

जागरण संवाददाता, दुमका : दुमका में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का फैसला अकेले मुख्य न्यायाधीश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सभी जजों की राय लेकर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। बेंच की स्थापना से पहले कई फेक्टर को भी देखना पड़ता है।

उक्त बातें शनिवार को आउटडोर स्टेडियम में सशक्तीकरण शिविर के समापन के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि दुमका में बेंच जरूरी है। लंबे समय से मांग की जा रही है। अभी तक इस दिशा में क्या प्रयास हुआ है, इसको देखने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। हाइकोर्ट में भी जज की संख्या कम है। संसाधन की कमी है। 25 की जगह 17 जज ही काम कर रहे हैं। आनेवाले समय में बेंच पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पेंशन मिलनी चाहिए लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पा रही है। लोगों को सरकार की हर योजना के बारे में पता नहीं होगा, तब तक वे उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत लोगों को घर मिल रहा है। हर विभाग लाभुकों की किसी न किसी रूप में मदद कर रहा है। बस लोगों को आने की आवश्यकता है। कहा कि जिले में कोई भी शिविर तभी सफल होता है जब वहां का प्रशासन सक्रिय होता है। दुमका जिला प्रशासन की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। एक शिविर का आयोजन करने के लिए एक माह पहले से तैयारी करनी होती है। इसके बाद ही आयोजन सफल होता है। शिविर में आने के बाद भी अगर कोई लाभुक लाभ से वंचित रह गया है तो वह गांव के पारा लीगल वोलेंटियर की मदद से अपना आवेदन दे सकता है। इससे पहले न्यायाधीश ने शिविर के माध्यम से समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग को ट्राइसाइकिल, बैसाखी, मछली बीज और आहार, पेंशन और सखी मंडल समूह की सदस्यों को 1.1 करोड़ का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री लॉडली योजना, प्रधानमंत्री आवास, मछुवारों को वेद व्यास योजना के तहत आवास, श्रम विभाग की ओर से साइकिल का वितरण किया। धन्यवाद ज्ञापन देते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि दुमका के लिए आज बड़े सौभाग्य का दिन है, जब इतने बड़े न्यायाधीश समय निकालकर यहां की जनता को बहुत जानकारी देने के लिए आए। इसके लिए जितना कुछ कहा जाए, कम ही होगा।

2.25 करोड़ से बना न्याय सदन : करीब सवा दस बजे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय परिसर पहुंचे। वहां पर आदिवासी युवतियों ने उनका स्वागत किया। न्याय सदन पहुंचने पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह और सचिव राघवेंद्र नाथ पांडेय की अगुआई में अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने न्याय सदन का निरीक्षण किया और कहा कि मध्यस्थता के लिए बहुत सुंदर भवन बना है। 2.25 करोड़ की लागत से बने इस भवन में एक लिफ्ट लगी है। इसके अलावा वहां पर मध्यस्थता केंद्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कार्यालय और स्थायी लोक अदालत चला करेगी। भवन में हर तरह की सुविधा है। शिकायत लेकर आनेवालों के बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था है।

पैनल अधिवक्ताओं से की बात : न्याय सदन में न्यायाधीश ने पैनल अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता आज के समय में बहुत जरूरी है। पैनल अधिवक्ता को जो दायित्व मिला है, उसका निर्वहन करें। आनेवाले समय में उनकी मदद से बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने अधिवक्ताओं के कार्य की सराहना की।

न्याय सदन का उद्घाटन करते उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल • जागरण

बच्चों को खिलाई खीर शादी देखी

न्यायाधीश निरीक्षण के क्रम में समाज कल्याण विभाग के स्टॉल पर पहुंचे। समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती और सीडीपीओ रितु कुमारी के आग्रह पर तीन बच्चों को खीर खिलाकर मुंहजुठी कराई। इसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत तीन लाभुकों की शादी में शामिल हुए। पंडित ने हवन कुंड में आग जलाकर विवाह की रस्म को अदा किया। न्यायाधीश ने शादी करनेवाले जोड़ों को प्रावधान के अनुसार चेक भी प्रदान किया।

आने और जाने पर बारिश

न्यायाधीश के आउटडोर स्टेडियम पहुंचने से पहले जमकर बारिश हुई। कार्यक्रम का समापन होने के बाद भी बारिश हुई। इसके बाद भी लोगों का उत्साह देखने लायक था। दूर दराज से आए लोग हर विभागीय स्टॉल पर जाकर जानकारी एकत्र करते दिखे। ज्यादातर भीड़ वाली पुटवीयर और बासुकी अगरबत्ती के काउंटर पर थी। लोग महिलाओं से यह जानकारी ले रहे थे कि वे किस तरह से मशीन पर काम करती है और उन्हें इस काम से कितना लाभ मिलता है।

स्वच्छता की दिलाई गई शपथ

शिविर में न्यायाधीश के पहुंचने से पहले रांची से आई एंकर मीनाक्षी ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कहा कि गांधी जी ने मां भारती को आजाद कराया। हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर कर भारत माता की सेवा करें। सभी ने एक साथ हाथ बढ़ाकर शपथ ली कि स्वच्छता के प्रति सजग रहेंगे। न गंदगी करेंगे और न करने देंगे। गांव और गली में स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। हर माह दो तारीख को अपनी गांव और पंचायत में स्वच्छता सभा का आयोजन कर सभी के साथ मिलकर सफाई करूंगी।

खुद के बजाय लाभुक से कराया उद्घाटन

जासं, दुमका : अमूमन आनेवाले मुख्य अतिथि ही किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं लेकिन आउटडोर स्टेडियम में अपनी मौजूदगी में मुख्य न्यायाधीश ने पेंशन योजना के पांच लाभुकों से शिविर का उद्घाटन कराया। एसीजे समेत अन्य न्यायाधीश लाभुकों का पूरा सहयोग करते रहे। उद्घाटन करने के बाद शमशुल अंसारी ने कहा कि कार्यक्रम में बहुत बार शामिल हुए लेकिन पहली बार इतने बड़े जज ने खुद की बजाय लाभुकों से उद्घाटन कराया। ऐसे लोगों की बदौलत ही राज्य के लोगों को न्याय मिल पाता है।

सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले: डी एन पटेल

संवाददाता

दुमका : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आउटडोर स्टेडियम दुमका में चतुर्थ राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय डी०एन० पटेल, विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय एच सी मिश्रा सह अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय सह प्रशासनिक न्यायाधीश, दुमका न्यायमंडल अनिल कुमार चौधरी उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय डी एन पटेल ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा समाज के हर व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए कई सारी योजनायें चलाई जा रही हैं। केन्द्र व राज्य सरकार की सभी

योजनायें तभी सफल होंगी जब जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में लोगों में सरकार की योजनाओं की जानकारी का अभाव है। सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी कई कल्याणकारी योजनायें चला रही है। ऐसी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद को मिले तो उसे किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के पैसों को सही कार्य में खर्च कर हम समाज में खुशहाली लाने का कार्य कर सकते हैं। इस अवसर पर विभिन्न लाभुकों के बीच समाज कल्याण द्वारा ट्राई साईकिल, बैसाखी वितरित किया गया। लक्ष्मी लाडली योजना के तहत [illegible] हजार रुपये का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, डी एन पटेल ने सभी से कहा कि स्टॉलों पर अवश्य जायें एवं सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। योजनाओं का लाभ लें। इस दौरान सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभुकों ने अपने अनुभव को साझा किया। दुमका के उपायुक्त मुकेश कुमार, उप विकास आयुक्त वरुण रंजन, प्रशिक्षु आईएएस शशि प्रकाश ने सभी अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह दिया। कार्यक्रम स्थल पर लोटा पानी, पारम्परिक रीति रिवाज से उनका स्वागत किया गया। दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई, पुष्पगुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत किया गया। धन्यवाद ज्ञापन उपायुक्त मुकेश कुमार ने दिया। इससे पूर्व उन्होंने वैकल्पिक न्याय सदन (एडीआर) का नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया तथा पैनल लॉयर से बातचीत की।